प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**.......
प्र0इ0रि0 सं. ......39/ **2022**............................दिनांक........9/2/2022............

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन)अधि. 2018**........... धाराये...........**7, 7ए**
(II) * अधिनियम ....**भा. दं. सं.**.................धारायें ....120 बी.......................
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....175..................... समय ......7.00 PM.
(ब) * अपराध घटने का वार.....**सोमवार**....दिनांकः—07.02.2022 समय 11:00 ए.**एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **28.01.2022**

4. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक—**लिखित**

5. घटनास्थल :—
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः—
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
(अ) नाम श्री **अरूण सिंह चौधरी** ....
(ब) पिता / पति का नाम **श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी**..........
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष........................37 साल ....
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....

(ल)पता —निवासी प्लाट नम्बर बी—51, शंकर विहार, सवाई गैटोर, जयपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : —

1— श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री कृष्ण कुमार यादव उम्र 39 साल, निवासी शिक्षक कोलोनी, तक्षशिला स्कूल के पास, पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल फ्लैट नम्बर 109, पम्पोस अपार्टमेन्ट, जगतपुरा नियर जवाहर सर्किल, जयपुर हाल उपायुक्त जोन 4, जेडीए जयपुर।

2— श्री अखिलेश मौर्य पुत्र श्री काशीनाथ मौर्य, उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 11, सुदामापुरी पंचवटी कोलोनी खातीपुराा रोड पुलिस थाना सोडाला, जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय उपायुक्त, जोन—4, जेडीए, जयपुर।

3– श्री रामतोफान मुण्डोतिया पुत्र श्री प्रभातराम मुण्डोतिया उम्र 54 साल निवासी ए/72, श्याम मित्र मण्डल नगर रोड नम्बर 05, वीकेआई, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय जेडीए जोन–5, जयपुर

4– श्री विजय मीणा पुत्र स्व0 श्री देव कुमार मीणा उम्र 29 साल निवासी प्लाट नम्बर 07, शिव कोलोनी, प्रेम नगर, आगरा रोड, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर

5– श्री श्याम कुमार मालू पुत्र श्री बाबूलाल मालू पुत्र श्री 37 साल निवासी चोकुटी, गजनेर रोड, बीकानेर हाल मकान नम्बर ए–17, अमर नगर खातीपुरा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन–04, जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

क–**आरोपीगण के कब्जे से बरामद रिश्वती राशि 1,00,000/– रूपये (फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त) तथा 10,000/– रूपये (बिना फिनॉफ्थलीन पाउडर के)**

ख– परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि, जिसमें 1,20,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा तथा 80,000/– रूपये डमी मुद्रा कुल 2,00,000/– रूपये (फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त) तथा 15,000/– रूपये (बिना फिनॉफ्थलीन पाउडर के)

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 3,10,000/–रूपये**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 28.01.2022 को परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी उम्र 37 साल निवासी प्लाट नम्बर बी–51, शंकर विहार, सवाई गैटोर, जयपुर ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि जेडीए जोन 4 के सिद्धार्थ नगर में मेरा प्लाट नं सी–553 है। जिसका मुझे जेडीए जोन–4 में मेने पट्टे के लिये आवेदन किया है। पूर्व में हमारी योजना में कोर्ट का स्टे था जो कि पिछले कुछ दिनो पूर्व हट गया था। स्टे हटने के बाद हमारी कॉलोनी के बहुत लोगों ने जेडीए जोन–4 में पैसे देकर (रिश्वत) पट्टा ले लिया है। मेरे साथ कॉलोनी के अन्य लोग भी पट्टा लोने के लिये जोन उपायुक्त श्रीमती ममता यादव के पास गये तो उन्होने पट्टा नही दे कर अपने दलालो के माध्यम से रिश्वत की मांग कर रही है। इनके दलाल जेईएन मालूराम, विजय रीडर अन्य कई लोग है जिनके नाम नही जानते, उनके माध्यम से रिश्वत मांग रहे है। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि आरोपिया मेरे से पट्टे जारी करने के ऐवज में पांच से छ लाख रूपये मांग रही है। मै उनको किसी भी प्रकार की रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा न ही उनसे कोई मेरा लेन–देन बकाया है। मैं उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। उक्त आशय की रिपोर्ट पेश करने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित करने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से मजीद दरियाफ्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया, जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन आज ही करवाया जाना आवश्यक है।

जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री पन्नालाल कानि. 09 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा उक्त कानि0 से कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया तथा एक खाली मेमोरी कोर्ड (सेन डिस्क कम्पनी का 16 जीबी) मंगवाया जाकर मेमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर उसे विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी एवं पन्नालाल कानि को मामले की गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया जाकर मामले का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर संदिग्ध अधिकारी श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर द्वारा परिवादी से उसके पिता श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी तथा कोलोनी के अन्य लोगों के प्लाटों का नियमन कर पट्टा जारी करने की एवज रिश्वत की मांग किया जाना सत्यापित हुआ। ततपश्चात् परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे पिता तथा कोलोनी के अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन करने की प्रक्रीया उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में चल रही है। हमारे प्लाटों की कोलोनी पर बहुत साल से न्यायालय से स्टे खुला है, जो सम्भव है कि शीघ्र ही वह स्टे वापस लग जायेगा। हमें स्टे से पहले ही हमारे पट्टे बनवाने पडेंगे, नही तो पुनः स्टे लगने की स्थिति में हमारे प्लाटों के नियमन के पट्टे नहीं बनेंगे। इस कारण जेडीए जोन–4, में हर स्तर का अधिकारी कर्मचारी मेरे से रिश्वत की मांग कर रहा है जो रिश्वत देने पर ही हमारी पत्रावली में शीघ्र अपनी–अपनी टिप्पणी कर प्रक्रियानुसार पत्रावली को अग्रेषित करेंगे। इस प्रकार परिवादी द्वारा उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में पदस्थापित अन्य कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा भी रिश्वत की मांग करना बताया जाने पर दिनांक 01.02.2022 को परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी को पुनः कानि. श्री रमजान अली कानि0 के साथ संदिग्ध अधिकारियों से गोपनीय सत्यापन हेतु भिजवाया जाकर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर आरोपी श्री श्याम मालु, कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन–4, जयपुर द्वारा परिवादी से उसके पिता श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी तथा कोलोनी के अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन की पत्रावलियों में स्वयं की टिप्पणी/कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर अग्रेषित कर पट्टा जारी करवाने की एवज में रिश्वत की मांग किया जाना तथा आरोपिया श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर द्वारा परिवादी से उसके पिता श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी तथा कोलोनी के अन्य लोगों के प्लाटों का नियमन कर पट्टा जारी करने की एवज रिश्वत की मांग किया जाना सत्यापित हुआ। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पिताजी तथा कोलोनी के अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन की आवेदन पत्रावलियों पर अभी तक उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, मुझे एक बार पुनः सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलकर मेरे पिता व अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन हेतु किये गये आवेदन पर कार्यवाही आगे बढाने हेतु निवेदन करना चाहता हूं नही तो पुनः न्यायालय से स्टे लगने की स्थिति में हमारा पट्टा नहीं बनेगा।

जिस पर परिवादी को दिनांक 02.02.2022 को पुनः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर देकर कानि0 श्री रमजान अली 466 के साथ उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर रवाना कर सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर आरोपी श्री श्याम मालु, कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन–4, जयपुर द्वारा परिवादी के पिता के प्लॉट का नियमन कर पट्टा जारी कराने की एवज में तीन लाख रूपये तथा परिवादी के पडोसी/परिचित के प्लाट का नियमन कर पट्टा जारी कराने की एवज में दो–दो लाख रूपये एवं अन्य घरेलू आवेदनकर्ताओं के लिये 60–60 हजार रूपये की रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई तथा आरापिया श्रीमती ममता

यादव द्वारा परिवादी के पिता के प्लॉट का नियमन कर पट्टा जारी कराने की एवज में साढे तीन लाख रूपये तथा परिवादी के पडोसी/परिचित के प्लाट का नियमन कर पट्टा जारी कराने की एवज में दो–दो लाख रूपये एवं अन्य घरेलू आवेदनकर्ताओं के लिये 60–60 हजार रूपये की रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि मेरे पिता तथा पडोसी के पट्टों में व्यवसायिक गतिविधियां होने तथा उनकी लोकेशन के हिसाब से आरोपीगण द्वारा ज्यादा रिश्वत की मांग की जा रही है।

दिनांक 04.02.2022 को परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री गोपाल लाल गुप्ता पुत्र श्री केदार लाल गुप्ता, उम्र–55 साल, निवासी– टोढाभीम, करौली हाल– म0न0 79ए, सुमेर नगर विस्तार, जी–ब्लॉक, मांगियावास जयपुर हाल– प्रशासनिक अधिकारी(ओ.एस) कार्यालय सर्किल प्रोजेक्ट, पीएचईडी गांधीनगर जयपुर एवं श्री सुरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रामबाबू खण्डेलवाल, उम्र– 34 साल, निवासी– 63, गंगासागर कॉलोनी, आगरा रोड़ जयपुर हाल– वरिष्ठ सहायक कार्यालय सर्किल जयपुर, पीएचईडी गांधीनगर जयपुर उपस्थित आये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.01.2022 एवं रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण (आरोपिया श्रीमती ममता यादव तथा आरोपी श्री श्याम कुमार मालू) के मध्य दिनांक 01.02.2022 एवं 02.02.2022 को हुई वार्ताऐं, जो विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है दोनों गवाहान एवं परिवादी को उक्त रिकॉर्ड वार्ताऐं सुनाई जाकर फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार कर जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वती राशि मांग सत्यापन के समय हुई उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर के जरिये तीन सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि आरोपीगण से दिनांक 02.02.2022 को रिश्वत सम्बंधी वार्ता करने के पश्चात मेरे पिताजी तथा अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन की पत्रावलियों में उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा काफी तीव्र गति से प्रकिया की जा रही है। उक्त प्लाटों के नियमन के पट्टा जारी करने तक की लगभग सम्पूर्ण प्रकिया कर ली गई है। अभी मैं उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में जाकर उक्त प्लाटों के सन्दर्भ में मालूमात करूंगा तो सम्भव है कि उक्त जोन में पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा मुझसे मेरे कार्यों के एवज में रिश्वत की मांग करेंगे। चुंकि परिवादी के बताये अनुसार उसके प्लाटों के नियमन की पत्रावलियों के बारे में जानकारी लेने के लिये उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में जाने पर उस कार्यालय में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा रिश्वत की मांग करने की सम्भावना प्रतीत होती है। जिस पर मामले में पूर्व करवाये गये सत्यापन के क्रम में परिवादी को पुनः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर देकर कानि0 श्री रमजान अली के साथ उपायुक्त जोन–4, जेडीए जयपुर भिजवाया जाकर अग्रिम सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर आरोपी श्री रामतोफान मुण्डोतिया, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम द्वारा परिवादी से उसके पिता श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी तथा कोलोनी के अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन की पत्रावलियों में स्वयं की

टिप्पणी/कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर अग्रेषित करने की एवज में रिश्वत की मांग कर दौराने सत्यापन 2,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना एवं पूर्व में परिवादी से उसके उक्त कार्य की एवं में 20,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने की सहमति दिये जाने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी को आरोपीगण को बतौर रिश्वत दी जाने वाली रिश्वत राशि प्रस्तुत करने की हिदायत करने पर परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है मैं पैसों की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 05.02.2022 एवं 06.02.2022 को परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष सूचना दी कि कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारीगण ने मुझे मेरे मोबाईल फोन पर व्हाट्सअप कॉल कर कार्यालय में आकर काम कराने के लिये बुला रहे है। सम्भवतया वह मुझे अभी मेरे कार्य की एवज में रिश्वत लेकर बुला रहे है परन्तु अभी मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हुई है इसलिये मैंने उनको फोन पर कह दिया है कि मैं अभी बाहर हूं। जयपुर आते ही आपसे कार्यालय में आकर मिल लूंगा। तत्पश्चात परिवादी को पुनः मामले की गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत की गई।

इसके पश्चात दिनांक 07.02.2022 को प्रातः 09:00 एएम पर तलबिदा परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी तथा स्वतंत्र गवाहान श्री गोपाल लाल गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल तथा कार्यालय स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आया। तत्पश्चात कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 04.02.2022 को परिवादी तथा आरोपी श्री रामतोफान, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम के मध्य हुई वार्ता, जो विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है दोनों गवाहान एवं परिवादी को उक्त रिकॉर्ड वार्ताऐं सुनाई जाकर फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार कर जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वती राशि मांग सत्यापन के समय हुई उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर के जरिये तीन सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

इसके पश्चात प्रधान आरक्षी केन्द्र, एसीबी, जयपुर से तलबिदा कानि0 श्री रविन्द्र सिंह नं0 308 कार्यालय में उपस्थित आया। जिसका उपस्थित परिवादी एवं गवाहान से परिचय करवाया गया, तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी को स्वतंत्र गवाहन के समक्ष संदिग्ध आरोपीगण श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर तथा श्री श्याम कुमार मालू, कनिष्ठ अभियंता को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने 500–500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000/– रूपये आरोपी श्री श्याम कुमार मालू, कनिष्ठ अभियंता को दिये जाने के लिये तथा 500–500 रूपये के 240 नोट कुल 1,20,000/– रूपये आरोपिया श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर दी जाने वाली रिश्वत राशि के लिये निकाल कर मन् उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की तथा परिवादी ने बताया कि उक्त प्रस्तुत राशि में 1,00,000/– रूपये संदिग्ध श्री श्याम कुमार मालू, कनिष्ठ अभियंता के लिये है तथा शेष 1,20,000/– रूपये संदिग्ध अधिकारी श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के लिये है, चुंकि संदिग्ध अधिकारी श्रीमती ममता यादव द्वारा मेरे से तीन लाख रूपये की रिश्वत की मांग की गई है परन्तु मेरे से अभी इतने ही रूपयों की व्यवस्था हो पाई है। परिवादी ने यह भी बताया कि संदिग्ध अधिकारी मुझसे रिश्वत की राशि लिफाफे में लेकर आने के लिये कहते है। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक से तीन खाली सफेद का लिफाफे मंगवाये गये।

तत्पश्चात् उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा आरोपी श्री श्याम कुमार मालू, कनिष्ठ अभियंता को दी जाने वाली रिश्वत राशि 1,00,000/– रूपयों को एक सफेद कागज

के लिफाफे तथा आरोपिया श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 1,20,000/– रूपयों (भारतीय चलन मुद्रा के) एवं परिवादी के पास राशि पर्याप्त उपलब्ध नही होने से कार्यालय के आलमारी से 500–500 रूपयों के कुल 160 डमी मुद्रा नोट (मनोरंजन बैंक के) कुल 80,000/– रूपयें के डमी मुद्रा निकालकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत आरोपिया श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि में मिलाया जाकर उक्त संयुक्त 2,00,000/– रूपयों की रिश्वत राशि को आधा–आधा हिस्सों में विभाजित कर दो सफेद कागज के लिफाफों में डाला गया।

इसके पश्चात उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। कानि0 श्री रविन्द्र सिंह नं0 308 से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि के समस्त नोटों पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस करवाई गई। इसके पश्चात् उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी ने बताया कि उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय से आज मुझे मेरे पिता तथा अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन के पट्टे जारी कर सुपुर्द करने की सम्भावना है। इसलिये उक्त जारीशुदा पट्टे मुझे सुपुर्द किये जाने की एवत में उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में पदस्थापित विभिन्न कर्मचारियों द्वारा भी मुझसे बतौर रिश्वत राशि प्राप्त की जायेगी। क्योंकि पट्टे सुपुर्द करने के समय कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है नहीं देने पर पट्टे सुपुर्द करने में उनके द्वारा अनावश्यक देरी की जाती है। इसलिये सम्भव है वह मुझे भी पट्टे सुपुर्द करने की एवज में मुझसे रिश्वत प्राप्त करेंगे। चूंकि परिवादी ने उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा पट्टे सुपुर्द करने की एवज में रिश्वत लेने की संभावना व्यक्त की है ऐसी सूरत में मौके पर रिश्वत लेने के सम्बन्ध में परिस्थिति अनुसार समय के अभाव में रिश्वत मांग सत्यापन करवाना संभव नही है अतः रिश्वत लेनदेन की मात्र संभावना है ऐसी परिस्थिति में परिवादी को उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में पदस्थापित कर्मचारियों को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के लिये कहने पर परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी ने 500–500 रूपये के कुल 10 नोट कुल 5,000/– रूपये तथा 200–200 रूपये के कुल 100 नोट कुल 20,000/– रूप्ये कुल 25,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने परिचित से मंगवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किये। उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा मांग करने पर उनको रिश्वत के रूप में दिए जाने वाले 25,000/– रूपये की राशि पर फिनाफथलीन पाउडर नही लगवाया गया इन नोटो के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात उपरोक्त मौतबिरान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अरूण कुमार चौधरी की गाडी नं0 आरजे 45 सीडी 7440 मारूति बेलेनो में परिवादी के साथ श्री रमजान कानि0 को बाद हिदायत कर ब्यूरो मुख्यालय से जयपुर कार्यालय उपायुक्त जोन–4, विकास प्राधिकरण, जयपुर रवाना किया। मन् उप अधिक्षक पुलिस मय श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस, श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक, श्रीमती प्रिया व्यास, पुलिस निरीक्षक, कानि0 श्री पन्नालाल नं0 09, श्री सुभाष कानि0 नं. 465, श्री दिलावर खान नं0 246, श्री विनोद कुमार कानि0 242, श्री रमजान अली कानि0 466, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 श्री धर्मसिंह कानि0 249, श्री कमलेश कानि0 293 श्रीमति संतोष महिला कानि0 226 एवं श्री हिमांशु शर्मा कनिष्ठ सहायक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाह मय प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के

साथ परिवादी के वाहन के पीछे–पीछे सरकारी वाहनों मय चालकों के रवाना होकर समय 10:50 एएम पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के बाहर पहुंचे, जहां पर सरकारी वाहनों तथा परिवादी की गाडी को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के मुख्य दरवाजे से थोडा आगे रोककर परिवादी को पुनः आवश्यक हिदायत की गई तथा उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा हमराहियान जाब्ते को अपनी–अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी के इर्द–गिर्द रहने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया की मौखिक तौर पर आवश्यक समझाइस की गई। परिवादी को कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 के साथ उसकी गाडी में कार्यालय उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर में पदस्थापित संदिग्धान से वार्ता कर संदिग्धान द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि प्रदान करने हेतु रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान भी अपनी–अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी के पीछे–पीछे उपायुक्त जोन–4, जयपुर के कार्यालय के तल पर पहुंचकर परिवादी के इर्द–गिर्द रहकर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मूकीम हुए।

समय 12:45 पीएम पर परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी दो व्यक्तियों के साथ उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय से नीचे उतर कर जेडीए की पार्किंग में गया, जिसके पीछे–पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता भी जेडीए की पार्किंग में पहुंचा, जहां पर परिवादी द्वारा पूर्व इशारा नहीं कर अपने हाथ उपायुक्त जोन–4, जयपुर के कार्यालय में एकान्त स्थान की तरफ चलते हुये अपनी ओर आने का इशारा करने पर श्री हिमांशु, कनिष्ठ सहायक को परिवादी के पास भिजवाया गया तो परिवादी ने हिमांशु, कनिष्ठ सहायक को बताया कि मैं अभी उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में सदिग्ध अधिकारी श्री श्याम मालू, कनिष्ठ अभियंता से मिला, जिनसे मैंने हमारे पट्टों के बारे में निवेदन किया तो उन्होंने मुझसे रिश्वत राशि की मांग करने पर मैंने रिश्वत राशि निकालकर संदिग्ध अधिकारी श्री श्याम मालू, कनिष्ठ अभियंता को देने लगा तो संदिग्ध अधिकारी श्री श्याम मालू, कनिष्ठ अभियंता ने पास में खड़े अपने कार्यालय में पदस्थापित श्री अखिलेश मौर्य, कम्प्यूटर ओपरेटर से मेरे से रिश्वत राशि लेने के लिये कहकर मुझे रिश्वत राशि 1,00,000/– रूपये श्री अखिलेश मौर्य को देने के लिये कहने पर उक्त रिश्वत राशि मैंने अपने जेब से निकालकर श्री अखिलेश मौर्य, कम्प्यूटर ओपरेटर को दे दिये जिसने उक्त रिश्वत राशि 1,00,000/– रूपये अपनी पहनी हुई जींस पेंन्ट के बांयी जेब मे रखकर सहायक नगर नियोजन, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में रखी हुई लोहे की आलमारी में रखकर आलमारी को लॉक किया है। संदिग्ध अधिकारी श्री श्याम मालू, कनिष्ठ अभियंता मुझे अभी बीकानेर जाना बताकर अपनी गाडी में जाकर बैठ गये है। अभी संदिग्ध अधिकारी श्रीमती ममता यादव से मेरी बातचीत नहीं हुई है। उनसे बातचीत करने के लिये मैं अभी उनके कार्यालय कक्ष के बाहर जा रहा हूं। मैं उक्त श्री अखिलेश मौर्य को पहचानता हूं वह जोन–4, जेडीए, जयपुर में कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता है। यह संदिग्ध अधिकारी श्रीमती ममता यादव के कार्यालय कक्ष में आता जाता रहता है अगर इससे अभी रिश्वत राशि बरामद करते है तो सम्भव है की ट्रेप कार्यवाही की भनक शेष संदिग्ध आरोपीगण को हो सकती है। तत्पश्चात श्री हिमांशु, कनिष्ठ सहायक ने मुझे उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर परिवादी द्वारा दी गई सूचना से अवगत कराया। परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री श्याम मालू, कनिष्ठ अभियंता द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उसके कहे अनुसार रिश्वत राशि श्री अखिलेश मौर्य को सुपुर्द कर दी है। रिश्वत राशि अखिलेश मौर्य द्वारा सहायक नगर नियोजन, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर में रखी हुई लोहे की आलमारी में रखकर आलमारी को लॉक करके रखी गई है। चूंकि रिश्वती राशि अभी कार्यालय में ही है तथा सदिग्ध श्री अखिलेश मौर्य भी कार्यालय में ही है परिवादी के बताये अनुसार अभी रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की जाती है तो सम्भव है कि मामले की गोपनियता नहीं रहकर शेष आरोपीगण भी रिश्वत प्राप्त नहीं करे, जिस पर हमराहियान जाब्ते

में से श्री हिमांशु तथा रमजान अली कानि0 को जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखी गई उक्त स्थान की निगरानी हेतु हिदायत मामूर कर सहायक नगर नियोजन, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के कक्ष बाहर खड़े रहकर उक्त कक्ष से आने जाने वाले व्यक्तियों की आवश्यक निगरानी रखने के निर्देश प्रदान कर रवाना किया गया। हमराहियान जाब्ते में से श्री दिलावर खान कानि0 246 तथा श्री विनोद कुमार कानि0 242 को संदिग्ध श्री अखिलेश मौर्य को दिखाकर उक्त की निगरानी रखने की हिदायत कर संदिग्ध के पीछे–पीछे रवाना किया गया। परिवादी ने बताया है कि संदिग्ध अधिकारी श्री श्याम मालू, कनिष्ठ अभियंता अभी बीकानेर जाने वाला है, जो अभी अपनी गाडी आरजे 14 एक्ससी 7780 में बैठकर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से बाहर जाने वाला है, चूंकि संदिग्ध अधिकारी श्री श्याम मालू से प्रकरण में अनुसंधान आवश्यक है। अतः हमराहियान श्री रघुवीर शरण शर्मा, निरीक्षक पुलिस को संदिग्ध श्री श्याम कुमार मालू को मामले की गोपनीयता बनाये रखते हुये श्री श्याम कुमार मालू की निगरानी के निर्देश प्रदान कर कानि0 श्री पन्नालाल नं0 09 एवं स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल गुप्ता के साथ रवाना किया गया। शेष हमराहियान जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाह को पुनः परिवादी के पीछे–पीछे तथा उसके आस–पास रहकर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मूकीम रहने की हिदायत कर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता पुनः अपनी–अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी को पूर्व बताये ईशारे के इंतजार में मूकीम हुये।

तत्पश्चात श्री रघुवीर शरण शर्मा ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष सूचित किया कि आपके निर्देशानुसार मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता द्वारा संदिग्ध श्री श्याम कुमार मालू, कनिष्ठ अभियंता, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर की निगरानी रख रहे है तथा उक्त संदिग्ध अभी अपनी गाडी से जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के मुख्य दरवाजे के बाहर निकल रहा है, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक को संदिग्ध श्री श्याम कुमार मालू को मामले की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुये जेडीए से बाहर निकलने पर डिटेन करने के निर्देश दिये जिस पर श्री रघुवीरशरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता ने सदिग्ध श्री श्याम कुमार मालू को उसकी गाडी में ही डिटेन कर सूचित किया। चूंकि संदिग्ध अधिकारी श्री श्याम कुमार मालू को डिटेन कर लिया गया है तथा उक्त डिटेनशुदा संदिग्ध को जेडीए, जयपुर के आस–पास रखने से मामले की गोपनियता पर असर पड़ सकता है जिससे शेष कार्यवाही प्रभावित हो सकती है अतः मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक को डिटेनशुदा संदिग्ध श्री श्याम मालू को मामले की गोपनियता बनाये रखने के लिये एसीबी कार्यालय में लेकर जाकर निगरानी में रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात थोडे समय पश्चात श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक ने जरिये दूरभाष बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री श्याम मालू को एसीबी कार्यालय जयपुर में बैठाकर कानि0 श्री हिम्मत सिंह तथा कानि0 श्री मनीष सिंह की निगरानी मामूर कर आवश्यक हिदायत की गई है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाह तथा जाब्ते के साथ पुनः कार्यवाही स्थल पर आने की हिदायत की गई।

तत्पश्चात श्री रघवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह तथा श्री पन्नालाल कानि0 09 के साथ मौके पर उपस्थित आये, जिन्हें परिवादी के इर्द–गिर्द रहकर उसको बताये पूर्व में बताये निर्धारित इशारे के इंतजार में मूकीम रहने की हिदायत की गई।

समय 03:30 पीएम पर परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी श्री हिमांशु, कनिष्ठ सहायक के पास जाकर बातचीत करने पर श्री हिमांशु शर्मा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष पर बताया कि अभी परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी मेरे पास आया है तथा उसने बताया है कि हमारे पट्टे से सम्बंधित फाईलों की डिलींग जोन–4, जेडीए, जयपुर में पदस्थापित श्री विजय मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई है अभी वह मेरे पास आया तथा

हमारी पत्रावलियों में स्वयं द्वारा डिलींग शीघ्र कर पत्रावलियां अग्रेषित करने की एवज में मुझसे 10,000/– रूपये की रिश्वत की मांग की, जिस पर मैंने उसको बिना फिनॉफ्थलीन पावडर वाली राशि में से 10,000/– रूपये निकालकर दे दिये है वह अभी कार्यालय से बाहर जा रहा है। चूंकि सदिग्ध श्री विजय मीणा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर ली गई है तथा वह रिश्वत राशि के साथ कार्यालय बाहर जा रहा है जिससे सम्भव है कि संदिग्ध श्री विजय मीणा की निगरानी नहीं रखी गई तो उसे ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर वह उक्त रिश्वत राशि को खुर्द वुर्द कर देगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रेप पार्टी के सदस्यों में से श्री हिमांशु शर्मा तथा श्री विनोद कुमार कानि0 एवं परिवादी को संदिग्ध श्री विजय मीणा के पीछे–पीछे रहकर निगरानी करने की हिदायत की गई। अभी भी संदिग्ध अधिकारी श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर द्वारा परिवादी से बातचीत नहीं की गई। इसलिये अभी कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है तथा सदिग्ध विजय मीणा से रिश्वत राशि बरामद की जाना तथा अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष हमराहियान जाब्ते को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री रमजान कानि0 को सहायक नगर नियोजक अधिकारी, जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय कक्ष की निगरानी रखने तथा श्री पन्नालाल 09 तथा श्री दिलावर खान कानि0 को संदिग्ध श्री अखिलेश मौर्य की निगरानी रखने की हिदायत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस, कानि. देवेन्द्र सिंह एवं श्री सुभाष कानि0 465 के परिवादी एवं संदिग्ध श्री विजय मीणा के पीछे–पीछे जेडीए जयपुर के मुख्य दरवाजे से निकलकर जेएलएन मार्ग पर पहुंचा। जहां समय 03:35 पीएम पर परिवादी एवं श्री हिमांशु शर्मा ने अपने आगे चल रहे व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि यही संदिग्ध श्री विजय मीणा है जिसने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त की है। जहां पर मन् उप अधीक्षक ने सडक के किनारे पर उक्त व्यक्ति को रूकवाकर अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय मीणा पुत्र स्व0 श्री देव कुमार मीणा उम्र 29 साल निवासी प्लाट नम्बर 07, शिव कोलोनी, प्रेम नगर, आगरा रोड, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर होना बताया। चूंकि अभी मौके पर अग्रिम कार्यवाही की जानी है जिस हेतु मामले की गोपनीयता बनाई रखना आवश्यक है तथा संदिग्ध विजय मीणा से इस समय प्रकरण में अनुसंधान किया जाने से प्रकरण की गोपनीयता भंग होने की सम्भावना है। इसलिये मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अब तक की कार्यवाही श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को जरिये दूरभाष निवेदन कर सदिग्ध श्री विजय मीणा को निगरानी में रखने के सम्बंध अवगत कराया गया। जिस पर थोडी देर पश्चात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने सरकारी वाहन से जेडीए, जयपुर के मुख्य दरवाज के बाहर उपस्थित आये, जिस पर संदिग्ध श्री विजय मीणा को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी वाहन में बैठाकर हमराहियान कानि0 श्री विनोद कुमार नं0 242 को बाद आवश्यक हिदायत देकर निगरानी मामूर की गई। मामले की गोपनीयता को ध्यान मे रखते हुये संदिग्ध श्री विजय मीणा को भी एसीबी जयपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पुनः उपायुक्त जोन–4 जेडीए, जयपुर के कार्यालय के आस–पास मुकीम हुआ तथा परिवादी को भी संदिग्ध अधिकारी से बातचीत कर उसके मांगने पर रिश्वत राशि प्रदान करने की हिदायत की गई। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध सहायक लेखाधिकारी श्री रामोतोफान भी अपने कार्यालय में उपस्थित है जिसने मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मुझसे रिश्वत राशि ली थी। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत की गई कि जब भी आप संदिग्ध अधिकारी से बातचीत करें उसे सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में अवश्य रिकॉर्ड कर लेवें।

समय 4:10 पीएम पर कानि. श्री रमजान अली ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचना दी कि परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी संदिग्ध अधिकारी श्रीमती ममता

यादव के कार्यालय कक्ष में गया है तथा कुछ समय के पश्चात अपने से सम्बंधित पट्टों की फाईलों के साथ बाहर आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को आकर बताया कि मैंने अभी मेरे पट्टों के सम्बंध में संदिग्ध श्रीमती ममता यादव से बातचीत की तो उन्होंने मेरे पट्टे जारी करना बताकर मुझसे उनके एवज में रिश्वत की मांग करने पर मैंने उनको कहा कि हा मैं लेकर आया हूं। जिस पर श्रीमती ममता यादव ने मुझे बताया कि मैं अभी यहां कार्यालय में यह पैसे नहीं ले सकती मैं बाद में आपको बता दूंगी। जिस पर मैंने कहा की मेडम बाद में कब तो श्रीमती ममता यादव ने बताया कि एक–दो दिन बाद में आपकी होटल से ही ले लूंगी। अभी आप अपने पास ही रखो। जिस पर परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें उक्त वार्ताऐं रिकॉर्ड होने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारी श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर को डिटेन करने के लिये श्रीमती प्रिया व्यास, निरीक्षक पुलिस मय महिला कानि0 श्रीमती संतोष टेलर नं0 226 को हिदायत की गई तथा संदिग्ध श्री रामोतोफान, सहायक लेखाकधिकारी को डिटेन करने के लिये श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस मय कानि0 श्री पन्नालाल नं. 09 को हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान एवं सवतंत्र गवाहान के कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर के स्टाफ कक्ष में संदिग्ध श्री अखिलेश मौर्य का मालूमात किया तो हमराहियान जाब्ते तथा कार्यालय में मौजूद स्टाफ ने बताया कि श्री अखिलेश मौर्य अभी डीसी मेडम से मिलने के लिये उनके कार्यालय कक्ष में गया है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान एवं जाब्ते के कार्यालय कक्ष के दरवाज के बाहर पहुंचा, उक्त कार्यालय कक्ष के बाहर श्रीमती ममता यादव, आरएएस की नेम प्लेट लगी हुई है। जिसमें प्रवेश कर कक्ष के अन्दर पहुंचा, जहां पर एक महिला टेबल के सामने कुर्सी पर बैठी हुई मिली तथा कार्यालय में हमराहियान जाब्ता तथा अन्य दो व्यक्ति खडे हुये मिले। जिस मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कक्ष में कुर्सी पर बैठी उक्त महिला को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री कृष्ण कुमार यादव उम्र 39 साल, निवासी शिक्षक कोलोनी, तक्षशिला स्कूल के पास, पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल फ्लैट नम्बर 109, पम्पोस अपार्टमेन्ट, जगतपुरा नियर जवाहर सर्किल, जयपुर हाल उपायुक्त जोन 4, जेडीए जयपुर होना बताया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में तथा महिला अधिकारी/कर्मचारी की मौजुदगी में अपने आने का प्रयोजन बताते हुए परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी के पिता तथा अन्य लोगों के नाम सिद्वार्थ नगर में स्थित प्लाटों का नियमन करने की एवज में की गई रिश्वत मांग के संबंध में पूछने पर आरोपिया श्रीमती ममता यादव ने बताया कि श्री अरूण सिंह चौधरी तथा उसके पिताजी अपने प्लॉटों का नियमन करवाने के लिए मुझसे मेरे कार्यालय में मिलते रहते है इसके अलावा इनके आस पडौसी भी अपने पट्टो का नियमन करवाने के लिए मुझसे मिलते है यह मेरे से कब मिला था इसके मुझे जानकारी नही है। मैनें इससे किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नहीं की है न हीं मैनें इनसे कोई रिश्वत प्राप्त की है। मैनें इसके पिताजी तथा अन्य लोगों के प्लॉटो का नियमन कर पट्टा जारी कर दिया है। अब इनसे संबंधित कोई मेरे पास लम्बित नहीं है। जिस पर उप अधीक्षक द्वारा आरोपिया को से आज दिनांक को परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी हुई रिश्वत आदान प्रदान वार्ता के बारे में पूछताछ करने पर आरोपिया ने बताया कि मैनें आज भी श्री अरूण सिंह चौधरी से किसी प्रकार की रिश्वत की बात नहीं की है। जिस पर अरोपिया को बताया गया कि आप द्वारा अभी परिवादी से रिश्वत राशि अभी नहीं लेकर रविवार को परिवादी की होटल से लेने के लिये कहा गया है। जिसके संबंध में आरोपिया ने बताया कि मैनें ऐसी कोई बात नहीं की है श्री अरूण सिह चौधरी ने ही मुझे रविवार को होटल से पैसे लेने के लिए कहा था जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी ने बताया कि नहीं मैने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं अभी शाम को आरोपिया से मिलने के लिए इनके कार्यालय में

गया तो इन्होनें ही मुझ से मेरे पिता व अन्य लोगों के प्लॉटो का नियमन कर पट्टे जारी करने की एवज में मुझ से रिश्वती राशि की मांग कर राशि अभी नहीं प्राप्त करना बता कर बाद में कभी मेरी होटल से ही प्राप्त करने के लिये कहा है जिस पर पुनः आरोपिया को पूछने पर आरोपिया चुप हो गई जिससे स्पष्ट होता है कि आरोपिया द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु अपनी सहमती प्रदान कर रिश्वत राशि बाद में प्राप्त करने हेतु कहा जाना पाया गया है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन 4, जेडीए जयपुर द्वारा परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के सिद्वार्थ नगर स्थित प्लॉटो का नियमन पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3,00,000/–रूपये की अवैध रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.02.2022 को 2,00,000/–रूपये की रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत होकर रिश्वती राशि आईन्दा परिवादी से प्राप्त करने हेतु सहमत होना पाया जाने से आरोपिया द्वारा अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उक्त आरोपिया को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान/महिला कार्मिक के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात गवाह स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपिया के कब्जे से बरामदशुदा एक मोबाईल फोन सेमसंग गेलेक्सी ए–51 बरंग काला जिसके आईएमईआई नम्बर 355255116460461 एवं 355256116460469 है जिसमें दो सीम लगी हुई है एक सीम जीयो कम्पनी कम्पनी की जिसके नम्बर 8078680434 दूसरी सीम बीएसएनएल कम्पनी की 9950795179 है। उक्त मोबाईल प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में शिल्ड कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का M अंकित किया गया।

इसी दौरान श्री कमल नयन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता संदिग्ध श्री रामोतोफान मुण्डोतिया, सहायक लेखाधिकारी को हमराह लेकर उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय में बैठा कर बाद आवश्यक हिदायत कानि0 श्री पन्नालाल की निगरानी मामूर की गई।

तत्पश्चात् आरोपी के कार्यालय में उपस्थित संदिग्ध श्री अखिलेश मौर्य से उसका पूर्ण नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्री अखिलेश मौर्य पुत्र श्री काशीनाथ मौर्य, उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 11, सुदामापुरी पंचवटी कोलोनी खातीपुरा रोड पुलिस थाना सोडाला, जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर होना बताया जिस पर संदिग्ध श्री अखिलेश को अपना परिचय देकर प्रयोजन बताते हुये आज दिनांक 07.02.2022 को परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से ली गई रिश्वती राशि के संबंध में पूछने पर संदिग्ध श्री अखिलेश मौर्य ने बताया कि आज दिनांक 07.02.2022 को हमारे कार्यालय में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता श्री श्याम कुमार मालू श्री अरूण सिंह चौधरी के साथ मेरे पास कार्यालय में आये थे। श्री श्याम कुमार मालू ने मुझे श्री अरूण सिंह चौधरी से पैसे लेकर स्वंय के कक्ष में स्थित लोहे की आलमारी में रखने हेतु कहा था जिस पर मैनें उनके कहे अनुसार श्री अरूण सिंह चौधरी से 1,00,000/–रूपये प्राप्त कर उनके बताये अनुसार उनके कक्ष में स्थित उनकी लोहे की आलमारी के उपर की रैक में रख दिए थे तथा आलमारी को लॉक कर आलमारी की चाबी गार्ड श्री पुखराज को दे दी थी। कनिष्ठ अभियन्ता श्री श्याम कुमार मालू कार्यालय सहायक नगर नियोजक, जोन 4, जेडीए, जयपुर में ही बैठते है तथा उनकी कुर्सी के सामने ही उनकी लोहे की आलमारी रखी हुई है। गिरफ्तारशुदा आरोपिया श्रीमती ममता यादव को श्रीमती प्रिया व्यास पुलिस निरीक्षक एवं श्रीमती संतोष टेलर महिला कानि0 की निगरानी में सुपुर्द कर बाद आवश्यक हिदायत मामूर की गई तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान/परिवादी हमराहीयान जाप्ता आरोपी श्री अखिलेश मौर्य को हमराह लेकर सहायक नगर नियोजक, जोन 4, जेडीए जयपुर के कार्यालय में पहुँचा जहां

मुख्य दरवाजे की सामने की तरफ कोने में रखी लोहे की आलमारी की और इशार कर अखिलेश ने बताया कि यह आलमारी श्री श्याम कुमार मालू, कनिष्ठ अभियन्ता की है जिसमें मैनें उनके कहे अनुसार अरूण सिंह चौधरी से 1,00,000/–रूपयें मय लिफाफे के प्राप्त कर इस आलमारी में रखे थे। मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री श्याम कुमार मालू के कहने पर ही मैनें उक्त 1,00,000/–रूपये की रिश्वती राशि मय लिफाफा आरोपी श्री अखिलेश मौर्य को दी थी अखिलेश मौर्य ने उक्त रिश्वती राशि मय लिफाफा अपने हाथों में लेकर अपने पहनी हुई जीन्स पेन्ट के सामने की बायीं जेब में रख कर सहायक नगर नियोजक, जोन 4, जेडीए जयपुर के कार्यालय में दरवाजे के सामने रखी लोहे की आलमारी में रखे थे। उक्त की पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बॉक्स मांगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री अखिलेश मौर्य के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R–1 व R–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री अखिलेश मौर्य के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L–1 व L–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अखिलेश को उक्त आलमारी खोलने के लिए कहा जाने पर श्री अखिलेश ने बताया कि उक्त आलमारी की चाबी गार्ड श्री पुखराज के पास है। जिस पर आरोपी श्री अखिलेश की गार्ड श्री पुखराज जरिये दूरभाष वार्ता करवाई जाकर गार्ड श्री पुखराज के बताये अनुसार श्री श्याम कुमार मालू की टेबल के दराज से आलमारी की चाबी निकलवा कर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कक्ष में रखी हई उक्त आलमारी को खुलवाया जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री गोपाल लाल गुप्ता से तलाशी लिवाई गई तो आलमारी की उपर की रैक में एक सफेद रंग के लिफाफे में 500–500 रूपयें के नोटो की गड्डीयां बरामद होना पाया गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो उक्त गड्डी में 500–500 रूपये के कुल 200 नोट कुल 1,00,,000/– रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में आरोपी श्री श्याम कुमार मालू कनिष्ठ अभियन्ता को दी जाने वाली रिश्वती राशि में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री श्याम कुमार मालू कनिष्ठ अभियन्ता की आलमारी में आरोपी श्री अखिलेश मौर्य द्वारा रखी गई बरामदशुदा रिश्वती राशि 1,00,000/–रू0 मय सफेद लिफाफे को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में लोहे की आलमारी की उपर की रैक, जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई, का प्रक्रियानुसार एक सफेद कपडे की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क C–1 एवं C–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर

मार्का ' C' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अखिलेश मौर्य के पहनने के लिये दूसरी पेन्ट व्यवस्था कर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट को उतरवाया जाकर जीन्स पेन्ट की बायी जेब को उलट कर प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क P–1 व P–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री अखिलेश मौर्य द्वारा पहनी हुई जीन्स पेन्ट की जेब को सुखाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली को मार्क ''P'' अंकित किया जाकर थैली को शील्डमोहर कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अखिलेश मौर्य द्वारा आरोपी के पिता तथा अन्य लोगों के प्लॉटो का नियमन कर पट्टे जारी करवाने की एवज में आरोपी श्री श्याम कुमार मालू से मिलीभगत कर स्वयं के लिए तथा आरोपी श्री श्याम कुमार मालू कनिष्ठ अभियन्ता के लिए बतौर रिश्वती राशि 1,00,000/–रूपये प्राप्त करना पाया जाने से अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उक्त आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात हमराहीयान जाप्ते से आरोपी श्री रामतोफान मुण्डोतिया सहायक लेखाधिकारी को तलब कर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष उक्त आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.02.2022 को परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से हुई वार्ता के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मैने श्री अरूण सिंह चौधरी से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है तथा ना ही कोई रिश्वत की मांग की है। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी ने बताया कि इन्होंने मेरे पिताजी तथा अन्य लोगों के प्लॉटो के नियमन संबंधी पत्रावलियों पर स्वंय की टिप्पणी करने तथा शीघ्र पत्रावलियों को अग्रेषित करने के लिये मुझ से पूर्व में 20,000/–रूपयें बतौर रिश्वत प्राप्त किये तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 04.02.2022 को पूर्व में उक्त रिश्वत प्राप्त करने पर सहमत होकर पर पत्रावली 2,500/–रूपयें की रिश्वत की मांग कर 2,000/–रूपयें बतौर रिश्वत सत्यापन के समय प्राप्त किये है। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि परिवादी एवं रामोतोफान के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.02. 2022 से होती है। तत्पश्चात अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रामतोफान मुण्डोतिया पुत्र श्री प्रभातराम मुण्डोतिया उम्र 54 साल निवासी ए/72, श्याम मित्र मण्डल नगर रोड नम्बर 05, वीकेआई, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय जेडीए जोन–5, जयपुर द्वारा परिवादी के पिता व अन्य लोगों के प्लॉटों के नियमन संबंधित पत्रावलियों पर स्वयं की टिप्पणी अकिंत कर उक्त पत्रावलियां शीघ्र अग्रेषित करने की एवज में दौराने सत्यापन अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में पूर्व में परिवादी से 20,000/–रूपयें प्राप्त करने की सहमती देकर दौराने सत्यापन 2,000/–रूपयें बतौर रिश्वत प्राप्त करना पाया जाने से अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उक्त आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

इस समय प्रकरण की गोपनीयता को ध्यान में रखकर पूर्व में डिटेन किए गए आरोपीगणों को कानि0 श्री विनोद कुमार व श्री मनीष सिंह कानि0 हमराह लेकर तलबिदा मौके पर उपस्थित आये तथा डिटेनशुदा आरोपीगणों को मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिटेनशुदा आरोपीगणों से पृथक पृथक पूछताछ प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री विजय मीणा पुत्र स्व0 श्री देव कुमार मीणा उम्र 29 साल निवासी

प्लाट नम्बर 07, शिव कोलोनी, प्रेम नगर, आगरा रोड, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर आज दिनांक 07.02.2022 को परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से प्राप्त की गई रिश्वती राशि के संबंध में पूछने पर पहले तो आरोपी ने कुछ नहीं बताया बाद में तसल्ली देकर पूछने पर आरोपी ने बताया कि श्री अरूण सिंह चौधरी ने अपने पिता व अन्य लोगों के प्लॉटों के नियमन की पत्रावलियों की शीघ्र डीलिंग कर अग्रेषित करने हेतु मुझे कहा था जिस पर मैनें इनकी पत्रावलियों में टिप्पणी अकिंत कर शीघ्र अग्रेषित कर दी थी । आज दिनांक 07.02.2022 को इनकी पत्रावलियों में पट्टे जारी हो चुके है। आज इन्होंने मुझे उक्त कार्य के एवज में 10,000/–रूपये दिये थे जो मेरी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखे है। जिस पर आरोपी ने अपनी पहनी हुई पेन्ट के दाहिनी जेब में से 200–200 रूपयें के नोटों की एक गड्डी निकाल कर प्रस्तुत की, जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो उक्त गड्डी में 200–200 रूपये के कुल 50 नोट कुल 10,,000/– रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में कार्यालय उपायुक्त जोन 4, जेडीए जयपुर में पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उनको दी जाने वाली रिश्वती राशि में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो उक्त सभी 50 नोटों के नम्बरों का मिलान हूबहू होना पाया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री विजय मीणा के कब्जे से बरामदशुदा रिश्वती राशि 10,000/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूकिं उक्त रिश्वती राशि के नोटों पर फिनॉफ्थलीन पाउडर नहीं लगवाया गया था इसलिए आरोपी श्री विजय मीणा के हाथों तथा बरामदगी स्थल का धोवन नहीं लिया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विजय मीणा पुत्र स्व0 श्री देव कुमार मीणा उम्र 29 साल निवासी प्लाट नम्बर 07, शिव कोलोनी, प्रेम नगर, आगरा रोड, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर द्वारा परिवादी से उसके पिता व अन्य लोगों के प्लॉटो के नियमन संबंधी पत्रावलियों में स्वयं की टिप्पणी अकिंत कर शीघ्र अग्रेषित करने की एवज में आज दिनांक 07.02.2022 को अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर 10,000/–रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पाये जाने से अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उक्त आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात डिटेनशुदा आरोपी श्री श्याम कुमार मालू को तलब कर परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02 एवं 03.02.2022 के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी श्री श्याम कुमार मालू ने बताया कि मैनें श्री अरूण सिंह चौधरी से किसी प्रकार की रिश्वत की राशि की मांग नहीं की है एव ंना ही किसी प्रकार की रिश्वत उनसे प्राप्त की है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि इन्होनें दिनांक 02 व 03.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मेरे से मेरे पिता के प्लॉट की नियमन की पत्रावली में स्वयं की टिप्पणी अकिंत करने तथा पत्रावलियां अग्रेषित करने की एवज में 3,00,000/–रूपये की रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.02.2022 को इन्होंने 1,00,000/– रूपये बतौर रिश्वत के आरोपी श्री अखिलेश मौर्य को देने के लिये कहने पर मैंने उक्त राशि आरोपी श्री अखिलेश मौर्य को दी थी। जिस पर आरोपी श्री श्याम कुमार मालू को उनके कक्ष व कार्य करने की जगह के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने सहायक नगर नियोजक, जोन–4, जेडीए, जयपुर के कमरा नम्बर 211 को अपना कक्ष बताते हुये जिस लोहे की आलमारी से रिश्वत राशि 1,00,000/– रूपये बरामद हुई उसको स्वयं की होना बताकर उक्त आलमारी के सामने की टेबल एवं कुर्सी पर स्वयं द्वारा कार्य करना

बताया। इस प्रकार आरोपी श्री श्याम कुमार मालू द्वारा परिवादी के पिता एवं अन्य लोगों के प्लॉटो की नियमन की पत्रावलियों में स्वयं की टिप्पणी अकिंत करने तथा पत्रावलियां अग्रेषित करने की एवज में 3,00,000/–रूपये की रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.02.2022 को इन्होंने 1,00,000/–रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत होकर आरोपी श्री अखिलेश मौर्य से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी से उक्त 1,00,000/–की रिश्वती राशि आरोपी श्री अखिलेश मौर्य के मार्फत प्राप्त करना पाये जाने से अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उक्त आरोपी श्री श्याम कुमार मालू पुत्र श्री बाबूलाल मालू पुत्र श्री 37 साल निवासी चोकुटी, गजनेर रोड, बीकानेर हाल मकान नम्बर ए–17, अमर नगर खातीपुरा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन–04, जयपुर को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर को दी जाने वाली रिश्वती राशि के सम्बंध में पूछने पर परिवादी ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष अपने पहने हुये जैकेट के अन्दर के दांयी तरफ के जैब से दो सफेद लिफाफे निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किये, जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाया गया तो उक्त दोनों सफेद लिफाफो में 500–500 रूपये के नोटों की गड्डियां प्राप्त हुई, जिनको स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो गड्डियों में 500–500 रूपये के कुल 240 नोट होकर कुल 1,20,000/– रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के नोट तथा 500–500 रूपये के कुल 160 डमी नोट (मनोरंजन बैंक के) कुल 80,000/– रूपये, इस प्रकार दोनों मुद्राओं के कुल 2,00,000/–रूपये बरामद होना पाया गया। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में आरोपिया श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर को दी जाने वाली रिश्वती राशि में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। जिनमें 500–500 रूपये के कुल 240 नोट जिनकी कुल राशि 1,20,000/–रूपये, जो भारतीय चलन मुद्रा के तथा इसके अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 160 नोट कुल राशि 80,000/– रूपये हैं। उक्त सभी डमी नोटों पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है। सभी डमी नोटों पर DUK 616850 नम्बर अंकित है।

तत्पश्चात परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत आरोपिया श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर को दी जाने वाली रिश्वती राशि 1,20,000/–रू0 (भारतीय चलन मुद्रा) तथा 80,000/– रूपये डमी करेंसी (मनोरंजन बैंक) कुल 2,00,000/– रूपये को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी ने अपने पहने हुये शर्ट के उपर की जेब से उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित अन्य कर्मचारियों द्वारा मांग करने पर दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि प्रस्तुत कर बताया कि इसमें से मैंने आरोपी श्री विजय मीणा द्वारा मांग करने पर 10,000/– रूपये निकालकर दे दिये तथा शेष रही राशि प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस पर परिवादी द्वारा उक्त बिना फिनॉफ्थलीन युक्त उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित अन्य कर्मचारियों द्वारा मांग करने पर दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो उक्त राशि में 200–200 रूपये के कुल 50 नोट तथा 500–500 रूपये 10 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 15,000/– रूपये होना पाया गया। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित अन्य कर्मचारियों द्वारा मांग करने पर दी जाने वाली रिश्वत राशि को दी जाने वाली रिश्वती राशि में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये।

तत्पश्चात परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित अन्य कर्मचारियों द्वारा मांग करने पर दी जाने वाली रिश्वत राशि 15,000/–रू0 (भारतीय चलन मुद्रा) को प्राप्त कर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत राशि आदान–प्रदान वार्ता को सरसरी तौर पर पुनः सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। जिसकी आईन्दा फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार कर शामिल पत्रावली की जायेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ट्रेप बॉक्स सुरक्षित रखवाया गया।

तत्पश्चात उपायुक्त जोन–04, जेडीए, जयपुर में परिवादी के पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन से सम्बंधित पत्रावलियों के सम्बंध में पूछताछ की गई तो कार्यालय में पदस्थापित श्री दीपक आचार्य पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा उम्र 21 साल निवासी 7ए, शिवाजी नगर, श्योपुर, प्रतापनगर, जयपुर ने परिवादी के पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन से सम्बंधित मूल पत्रावलियों से छायाप्रति तैयार कर स्वयं सत्यापित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की गई। उक्त पत्रावलियों की छायाप्रतियों पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री कृष्ण कुमार यादव उम्र 39 साल, निवासी शिक्षक कोलोनी, तक्षशिला स्कूल के पास, पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल फ्लैट नम्बर 109, पम्पोस अपार्टमेन्ट, जगतपुरा नियर जवाहर सर्किल, जयपुर हाल उपायुक्त जोन 4, जेडीए जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन कर पट्टा जारी करने की एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.02.2022 को 2,00,000/– रूपये की रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत होकर आईन्दा परिवादी से प्राप्त करने हेतु कहा जाना तथा आरोपी श्री रामतोफान मुण्डोतिया पुत्र श्री प्रभातराम मुण्डोतिया उम्र 54 साल निवासी ए/72, श्याम मित्र मण्डल नगर रोड नम्बर 05, वीकेआई, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय जेडीए जोन–5, जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुये परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन सम्बंधी पत्रावलियों पर स्वयं की टिप्पणी अंकित कर शीघ्र पत्रावलियां अग्रेषित करने की एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 04.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान पूर्व में 20,000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने की सहमति देना तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 2000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना, आरोपी श्री विजय मीणा पुत्र स्व0 श्री देव कुमार मीणा उम्र 29 साल निवासी प्लाट नम्बर 07, शिव कोलोनी, प्रेम नगर, आगरा रोड, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुये परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन सम्बंधी पत्रावलियों पर स्वयं की टिप्पणी अंकित कर शीघ्र पत्रावलियां अग्रेषित करने की एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर आज दिनांक 07.02.2022 को 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना, आरोपी श्री श्याम कुमार मालू पुत्र श्री बाबूलाल मालू पुत्र श्री 37 साल निवासी चोकुटी, गजनेर रोड, बीकानेर हाल मकान नम्बर ए–17, अमर नगर खातीपुरा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन–04, जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुये परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन सम्बंधी पत्रावलियों पर स्वयं की टिप्पणी अंकित कर शीघ्र पत्रावलियां अग्रेषित करने की एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग करना तथा उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में आरोपी श्री अखिलेश मौर्य से अवैध रूप से मिलीभगत कर उसके मार्फत आज दिनांक 07.02.2022 को परिवादी से 1,00,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा आरोपी श्री अखिलेश मौर्य पुत्र श्री काशीनाथ मौर्य, उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 11, सुदामापुरी पंचवटी कोलोनी खातीपुरा रोड पुलिस थाना सोडाला, जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर द्वारा आरोपी श्री श्याम

कुमार मालू से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन की पत्रावलियों में पट्टा जारी करवाने की एवज में स्वयं के लिये तथा आरोपी श्री श्याम कुमार मालू के लिये रिश्वत प्राप्त करना प्रमाणित पाये जाने से आरोपीगण द्वारा अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली किया गया। गिरफतारशुदा आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों तथा ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, जब्तशुदा आर्टिकल्स, बरामदा आरोपीगण के कब्जे से बरामदा राशि मय वाहन सरकारी चालकों के ब्यूरो, मुख्यालय पहुंचा।

दिनांक 08.02.2022 को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 07.02.2022 को आरोपीगणों तथा परिवादी के मध्य रिश्वति आदान–प्रदान के समय हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वती लेन–देन के समय हुई वार्ता की कम्प्यूटर के जरिये तीन सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड, जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.01.2022, रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य दिनांक 01.02.2022, 02.02.2022 तथा दिनांक 04.02.2022 को हुई वार्ताऐं तथा रिश्वत राशि आदान प्रदान के समय दिनांक 07.02.2022 को परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य हुई वार्ताऐं रिकॉर्ड है, को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क 'एसडी' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई।

आरोपीगण से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक–पृथक से मूर्तिब किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। गिरफ्तारशुदा आरोपीगण को बाद पूछताछ माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर अनुसंधान हेतु आरोपीगणों का एक योम पीसी रिमाण्ड लिया गया।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री कृष्ण कुमार यादव उम्र 39 साल, निवासी शिक्षक कोलोनी, तक्षशिला स्कूल के पास, पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल फ्लैट नम्बर 109, पम्पोस अपार्टमेन्ट, जगतपुरा नियर जवाहर सर्किल, जयपुर हाल उपायुक्त जोन 4, जेडीए जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी से उसके पिता के नाम प्लाट नम्बर सी–406, सिदार्थ नगर, क्षैत्रफल 390.57 वर्ग गज का पट्टा जारी करने की एवज में जेडीए में प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर होते हुये 3,50,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि परिवादी के निवास स्थान से आईन्दा प्राप्त करने की कहकर रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत होना पाया गया। आरोपी श्री श्याम कुमार मालू पुत्र श्री बाबूलाल मालू पुत्र श्री 37 साल निवासी चोकुटी, गजनेर रोड, बीकानेर हाल मकान नम्बर ए–17, अमर नगर खातीपुरा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन–04, जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुये परिवादी से उसके पिता लक्ष्मीनारायण चौधरी के प्लाट नम्बर सी–406, सिदार्थ नगर, क्षैत्रफल 390.57 वर्ग गज का पट्टा जारी करने की एवज में 3,00,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसंरण में परिवादी से 1,00,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त कर आरोपी श्री अखिलेश मौर्य को दिलवाकर, रिश्वत राशि अपने कार्यालय की आलमारी में रखवाना प्रमाणित होना पाया गया। आरोपी श्री विजय मीणा पुत्र स्व0 श्री देव कुमार मीणा उम्र 29 साल निवासी प्लाट नम्बर 07, शिव कोलोनी, प्रेम नगर, आगरा रोड, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुये

वरवक्त कार्यावाही परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन सम्बंधी पत्रावलियों पर स्वयं की टिप्पणी अंकित कर शीघ्र पत्रावलियां अग्रेषित करने की एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रमाणित होना पाया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री रामतोफान मुण्डोतिया पुत्र श्री प्रभातराम मुण्डोतिया उम्र 54 साल निवासी ए/72, श्याम मित्र मण्डल नगर रोड नम्बर 05, वीकेआई, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय जेडीए जोन–5, जयपुर द्वारा लोकसेवक के पद पर होते हुये परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन सम्बंधी पत्रावलियों पर स्वयं की टिप्पणी अंकित कर शीघ्र पत्रावलियां अग्रेषित करने की एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 04.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान पूर्व में 20,000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने की सहमति देना तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 2000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रमाणित होना पाया गया। आरोपी श्री अखिलेश मौर्य पुत्र श्री काशीनाथ मौर्य, उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 11, सुदामापुरी पंचवटी कोलोनी खातीपुरा रोड पुलिस थाना सोडाला, जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर द्वारा आरोपी श्री श्याम कुमार मालू से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी से उसके पिता एवं अन्य लोगों के प्लाटों के नियमन की पत्रावलियों में पट्टा जारी करवाने की एवज में ली गई रिश्वत राशि का बेंध होते हुये परिवादी से वरवक्त कार्यवाही 1,00,000/– रूपये बातैर रिश्वत स्वयं के लिये तथा आरोपी श्री श्याम कुमार मालू के लिये प्राप्त कर उक्त रिश्वत राशि को आरोपी श्री श्याम कुमार मालू के कार्यालय में रखी उसकी आलमारी में रखना प्रमाणित होना पाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त आरोपीगणों द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी से स्वयं के लिये अथवा दूसरों के लिये अनुचित लाभ/रिश्वत राशि की मांग कर स्वीकार करना तथा स्वयं के लिये तथा दूसरों के लिये अनुचित लाभ हासिल करना पाये जाने से उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी का पृथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण 1. श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री कृष्ण कुमार यादव उम्र 39 साल, निवासी शिक्षक कोलोनी, तक्षशिला स्कूल के पास, पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल फ्लैट नम्बर 109, पम्पोस अपार्टमेन्ट, जगतपुरा नियर जवाहर सर्किल, जयपुर हाल उपायुक्त जोन 4, जेडीए जयपुर 2. श्री श्याम कुमार मालू पुत्र श्री बाबूलाल मालू पुत्र श्री 37 साल निवासी चोकुटी, गजनेर रोड, बीकानेर हाल मकान नम्बर ए–17, अमर नगर खातीपुरा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन–04, जयपुर 3. श्री विजय मीणा पुत्र स्व0 श्री देव कुमार मीणा उम्र 29 साल निवासी प्लाट नम्बर 07, शिव कोलोनी, प्रेम नगर, आगरा रोड, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन–4, जेडीए, जयपुर 4. श्री रामतोफान मुण्डोतिया पुत्र श्री प्रभातराम मुण्डोतिया उम्र 54 साल निवासी ए/72, श्याम मित्र मण्डल नगर रोड नम्बर 05, वीकेआई, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय जेडीए जोन–5, जयपुर 5. श्री अखिलेश मौर्य पुत्र श्री काशीनाथ मौर्य, उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 11, सुदामापुरी पंचवटी कोलोनी खातीपुरा रोड पुलिस थाना सोडाला, जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय उपायुक्त, जोन–4, जेडीए, जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 व 120 बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(सचिन)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सचिन, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण (1)श्रीमती ममता यादव, उपायुक्त जोन-4, जेडीए, जयपुर, (2)श्री अखिलेश मौर्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर(संविदाकर्मी), कार्यालय उपायुक्त, जोन-4, जेडीए, जयपुर (3)श्री रामतोफान मुण्डोतिया, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, जेडीए जोन-5, जयपुर (4)श्री विजय मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त जोन-4, जेडीए, जयपुर (5)श्री श्याम कुमार मालू, कनिष्ठ अभियंता, जेडीए जोन-4, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 39/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 367-74 दिनांक 9.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक, (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

9.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।